



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 2010/कार्तिक 17, 1932

No. 618]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 2010/KARTIKA 17, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 888(अ).— केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (झ) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भाण्डागारण (विकास और विनियामक प्राधिकरण) लेखाओं और अभिलेखों की वार्षिकी विवरणी नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से भाण्डागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007, अभिप्रेत है ;

(ख) “उपाबंध” से इन नियमों से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है ; और

(ग) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

(3) लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों की वार्षिकी विवरण- प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि की समाप्ति पर, प्राधिकरण, उस अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित प्ररूपों में एक तुलनपत्र, एक आय-व्यय लेखे और प्राप्ति संदाय लेखे को तैयार करेगा, अर्थात् :-

- (क) प्ररूप “क” में तुलनपत्र ;
 (ख) प्ररूप “ख” में आय-व्यय लेखा ;
 (ग) प्ररूप “ग” में प्राप्ति-संदाय लेखा ।

4. लेखों, आदि का रखा जाना- प्राधिकरण, नियम 3 में निर्दिष्ट तुलनपत्र, आय-व्यय लेखे और प्राप्ति संदाय लेखे को उस वर्ष से जिससे उनका संबंध है, आगामी पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए परिरक्षित रखेगा ।

5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता- नियम 3 में निर्दिष्ट तुलनपत्र, आय-व्यय लेखे और प्राप्ति-संदाय लेखे पर प्राधिकरण के लेखा अधिकारी द्वारा, यदि कोई है, हस्ताक्षर किए जाएंगे और अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के प्राधिकरण के अध्यक्ष और किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

प्ररूप क
 (नियम 3 देखें)

31 मार्च.....को भाण्डागारण विकास और विनियामक
 प्राधिकरण का तुलनपत्र

(रकम - रुपए में)

विक्रय/पूंजी निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विक्रय/पूंजी निधि	1	-----	-----
आरक्षितियां और अधिशेष	2	-----	-----
निश्चित/विन्यास निधियां	3	-----	-----
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	-----	-----
अप्रतिभूत ऋण और उधार	5	-----	-----
आस्थगित प्रत्यय दायित्व	6	-----	-----
चालू दायित्व और उपबंध	7	-----	-----
कुल योग		-----	-----
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	8	-----	-----
निश्चित/ विन्यास निधियों से विनिधान	9	-----	-----
विनिधान-अन्य	10	-----	-----
चालू आस्तियां, ऋण, अधिदाय आदि	11	-----	-----
प्रकीर्ण व्यय (अपलिखित या समायोजित न किए जाने तक)		-----	-----
कुल योग			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24	-----	-----
समाश्रित दायित्व और लेखों पर टिप्पण	25	-----	-----

प्ररूप 'ख' (नियम 3 देखें)

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

31 मार्च,.....को समाप्त होने वाली अवधि/वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा

(रकम - रुपए में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विक्रय/सेवाओं से आय	12		
अनुदान/सहायिकियां	13		
फीस/अभिदान	14		
विनिधानों से आय (निधियों को अंतरित निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान पर आय)	15		
स्वामिस्व, प्रकाशन आदि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17		
अन्य आय	18		
तैयार माल और तैयार हो रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19		
कुल योग (क)			
व्यय			
स्थापन व्यय	20		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21		
अनुदानों, सहायिकियों आदि पर व्यय	22		
ब्याज	23		
अवक्षयण (अनुसूची 8 के समरूप-वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध योग)			
कुल योग (ख)			
व्यय पर आय के आधिक्य का अतिशेष (क-ख)			
विशेष आरक्षिति को अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षिति को/से अंतरण			
अतिशेष/(कमी) होने पर, निकाय/पूंजी निधि में ले जाया गया अतिशेष			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
समाश्रित दायित्व और लेखों पर टिप्पण	25		

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च.....को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1-निकाय/पूजी निधि	(रकम - रुपए में)			
	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	-----	-----	-----	-----
जोड़ें : निकाय/पूजी निधि में अभिदाय	-----	-----	-----	-----
जोड़ें / (घटाएं): आय-व्यय लेखे से अंतरित शुद्ध आय/व्यय का अतिशेष	-----	-----	-----	-----
वर्ष के अंत में अतिशेष	-----	-----	-----	-----

अनुसूची 2- आरक्षितियां और अधिशेष	(रकम - रुपए में)			
	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
1. पूंजी आरक्षिति : अंतिम लेखे के अनुसार जोड़ें, वर्ष के दौरान घटाएं: कटौतियां, वर्ष के दौरान	-----	-----	-----	-----
2. पुनर्मूल्यन आरक्षिती : अंतिम लेखे के अनुसार जोड़ें, वर्ष के दौरान घटाएं: कटौतियां, वर्ष के दौरान	-----	-----	-----	-----
3. विशेष आरक्षिती अंतिम लेखे के अनुसार जोड़ें, वर्ष के दौरान घटाएं: कटौतियां, वर्ष के दौरान	-----	-----	-----	-----
4. साधारण आरक्षिती : अंतिम लेखे के अनुसार जोड़ें, वर्ष के दौरान घटाएं: कटौतियां, वर्ष के दौरान	-----	-----	-----	-----
कुल योग	-----	-----	-----	-----

<ul style="list-style-type: none"> • किराया • अन्य प्रशासनिक व्यय <p>कुल योग</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>योग (ग)</p> <p>वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख-ग)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>टिप्पण</p> <p>i. अनुदानों से संलग्न शर्तों पर आधारित सुसंगत शीर्षों के अधीन प्रकटन किया जाएगा ।</p> <p>ii. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक् निधियों के रूप में दर्शाया जाए और किन्हीं अन्य निधियों में मिश्रित नहीं की जाए ।</p>						

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च.....को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूधियां

(रकम - रुपए में)

अनुसूची 4- प्रतिभूत ऋण और उधार	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	
1. केन्द्रीय सरकार	
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. अवधि ऋण	
ख. उपगत और देय ब्याज	
4. बैंक				
(क) अवधि ऋण	
-उपगत और देय ब्याज	
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	
-प्रोद्भूत और देय ब्याज	
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	
6. डिबेंचर और बंधपत्र	
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
कुल योग :	
टिप्पणः एक वर्ष के भीतर देय रकमें				

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च.....को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5- अप्रतिभूत ऋण और उधार :		(रकम - रुपए में)	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)
3. वित्तीय संस्थाएं
4. बैंक
(क) अवधि ऋण
(ख) अन्य ऋण
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण
6. डिबेंचर और बंधपत्र
7. स्थिर आस्तियां
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कुल योग
टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकमें
अनुसूची 6- आस्थगित प्रत्यय दायित्व:		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) पूंजीगत उपस्करों और अन्य आस्तियों के आडमान द्वारा सुरक्षित प्रतिग्रहण
(ख) अन्य
कुल योग
टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकमें

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च.....को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(रकम - रुपए में)

अनुसूची 7- चालू दायित्व और व्यवस्थाएं	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अ. चालू दायित्व		
1. प्रतिग्रहण
2. विविध लेनदार :- (क) माल के लिए (ख) अन्य
3. अग्रिम प्राप्तियां
4. निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं :		
(क) प्रतिभूत ऋण/उधार
(ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार
5. कानूनी दायित्व (क) अतिदेय (ख) अन्य
6. अन्य चालू दायित्व
कुल योग (अ)
आ. व्यवस्थाएं		
1. कराधान के लिए
2. उपदान
3. अर्द्धवार्षिकी/पेंशन
4. संचयित छुट्टी का भुनाया जाना
5. व्यापार वारंटी/वावे

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च.....को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(रकम - रुपए में)

अनुसूची 9- निश्चित /विन्यास निधियों से विनिधान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में
2.अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
3.शेयर
4.डिबेंचर और बंधपत्र
5.सहायिकियां और संयुक्त जोखिम
6.अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कुल योग

(रकम - रुपए में)

अनुसूची 10-विनिधान-अन्य	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में
2.अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
3.शेयर
4.डिबेंचर और बंधपत्र
5.सहायिकियां और संयुक्त जोखिम
6.अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कुल योग

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

31 मार्च.....को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(रकम - रुपए में)

अनुसूची-11- चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अ. चालू आस्तियां :		
1. सम्पत्ति-सूची:
(क) भंडार और अतिरिक्त पुर्जे
(ख) खुले औजार
(ग) माल
तैयार माल
तैयार किया जा रहा माल
कच्चा माल
2. विविध देनदार
(क) छह मास से अधिक के लिए बकाया ऋण
(ख) अन्य
3. रोकड बाकी (जिसमें चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सभी सम्मिलित हैं)	
4. बैंक जमाशायि	
(क) अनुसूचित बैंकों के :	
- चालू खाते में
- जमा खातों में (सीमान्त रकम सहित)
- बचत खातों में
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में :	
- चालू खाते में
- जमा खातों में
- बचत खातों में
5. डाकघर-बचत खाते
कुल योग (अ)

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च.....को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(रकम - रुपए में)

अनुसूची-11- चालू ऋण, अग्रिम आदि (लगातार)			
आ. ऋण, अग्रिम और अन्य शास्तियां			
1. ऋण :			
(क) कर्मचारिवृद्ध
(ख) क्रियाकलाप में लगे अन्य अस्तित्व /उन अस्तित्व के समान उद्देश्य
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
2. प्राप्तियोग्य अग्रिम और अन्य रकमें जो नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए है।			
(क) पूंजी खाते पर
(ख) पूर्व संवय
(ग) अन्य
3. उपगत आय			
(क) निश्चित/विन्यास निधियों से अन्य विनिधान
(ख) विनिधान पर-अन्य
(ग) ऋणों और अग्रिमों पर
(घ) अन्य (अप्राप्त देय आय सहित -रुपए.....)
4. प्राप्ति योग्य दावे
कुल योग (आ)
कुल योग (अ+ आ)

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च.....को तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(रकम - रूपए में)	
चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची-12- विक्रय/सेवाओं से आय	
1. विक्रय से आय
(क) तैयार माल विक्रय
(ख) कच्चे माल का विक्रय
(ग) स्क्रेप का विक्रय
2. सेवाओं से आय
(क) श्रम और प्रसंस्करण प्रभार
(ख) वृत्तिक/परामर्शी सेवाएं
(ग) अभिकरण कमीशन और दलाली
(घ) अनुक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)
(ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कुल योग

(रकम - रूपए में)	
चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची-13- अनुदान/सहायिकी	
(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सहायिकियां)	
(1) केन्द्रीय सरकार	
(2) राज्य सरकार (सरकारें)	
(3) सरकारी अभिकरण	
(4) संस्थाएं/कल्याण निकाय	
(5) अंतरराष्ट्रीय संगठन	
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
कुल योग	

(रकम-रूपए में)	
चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची-14- फीस/अभिदान	
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सहायिकियां)	
(1) प्रवेश फीस
(2) वार्षिक फीस /अभिदान
(3) सेमीनार/कार्यक्रम फीस
(4) परामर्श फीस
(5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कुल योग
टिप्पण-प्रत्येक मद के बारे में लेखा नीतियां प्रकट करें ।	

31 मार्च,को समाप्त होने वाले वर्ष/अवधि के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूधियां

(रकम-रूप में)

अनुसूची 15-विनिधान से आय (निधियों को अंतरित निश्चित/ विन्यास निधियों से आय)	निश्चित निधि से विनिधान		विनिधान-अन्य	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1) ब्याज				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर
(ख) अन्य बंधपत्र/डिबेंचर
(2) अभिलाभ
(क) शेरों पर
(ख) पारस्परिक निधि प्रतिभूतियां पर
(3) किराया
(4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कुल योग
निश्चित/विन्यास निधि को अन्तरित

अनुसूची-16 स्वामिस्व, प्रकाशन, आदि से आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1) स्वामिस्व से आय
(2) प्रकाशनों से आय
(3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कुल योग		

(रकम-रूप में)

अनुसूची-17 अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1) सावधि जमा पर :-
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ
(ख) अननुसूचित बैंकों के साथ
(ग) संस्थाओं के लिए
(घ) अन्य
(2) बचत खातों पर
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ
(ख) अननुसूचित बैंकों के साथ
(ग) डाकघर बचत खाता
(घ) अन्य
(3) ऋणों पर
(क) कर्मचारी/स्टाफ
(ख) अन्य
(4) ऋणदाता और अन्य प्राप्तिकर्ता से प्राप्त ब्याज
कुल योग
टिप्पण : स्रोत पर काटा गया टैक्स उपदर्शित करें		

31 मार्च,को समाप्त होने वाले वर्ष/अवधि के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां
भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

अनुसूची 18- अन्य आय	चाहू वर्ष	(रकम-रूपए में) पूर्व वर्ष
(1) आस्तियों के विक्रय/व्ययन पर लाभ
(क) धारित आस्तियां
(ख) अनुदानों से अर्जित, या लागत के बिना प्राप्त आस्तियां
(2) निर्यात पर प्राप्त प्रोत्साहन
(3) प्रकीर्ण सेवओं के लिए फीस
(4) प्रकीर्ण आय
कुल योग		

अनुसूचा 19- तैयार माल और तैयार हो रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	चाहू वर्ष	(रकम-रूपए में) पूर्व वर्ष
(क) बंद स्टॉक
-तैयार माल
-तैयार हो रहा माल
(ख) घटाएं : आरंभिक स्टॉक	(.....)	(.....)
-तैयार माल	(.....)	(.....)
-तैयार हो रहा माल	(.....)	(.....)
शुद्ध बढ़ोतरी/(कमी) (क-ख)

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च,.....को समाप्त होने वाले वर्ष/अवधि के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(रकम-रूप में)

अनुसूची 20- स्थापन व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी
(ख) भत्ते और बोनस
(ग) भविष्य निधि में अभिदाय
(घ) अन्य निधि में अभिदाय (विनिर्दिष्ट करें)
(ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय
(च) कर्मचारियों की अधिवर्षिता और सेवांत प्रसुविधाओं पर व्यय
(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कुल योग		

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
 31 मार्च,.....को समाप्त होने वाले वर्ष/अवधि के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां
 (रकम-रूप में)

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय ; आदि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) क्रय
(ख) श्रम और प्रसंस्करण व्यय
(ग) दुलाई और आवक वहन व्यय
(घ) विद्युत और पावर
(ङ) जल प्रभार
(च) बीमा
(छ) मरम्मत और खरखाव
(ज) उत्पाद-शुल्क
(झ) किराया, दरें और कर
(ञ) वाहन, चालक और खरखाव
(ट) डाक, टेलीफोन और संसूचना प्रभार
(ठ) मुद्रण और लेखन सामग्री
(ड) यात्रा और प्रवहन व्यय
(ढ) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय
(ण) अभिदान व्यय
(त) फीस पर व्यय
(थ) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक
(द) आतिथ्य व्यय
(ध) वृत्तिक प्रभार
(न) अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के संबंध में व्यवस्था
(प) बट्टे खाते डाला गया अप्रतिसंहरणीय अतिशेष

(फ) पैकिंग प्रभार
(ब) भाड़ा और प्रेषण व्यय
(म) वितरण व्यय
(य) विज्ञापन और प्रकाशन
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कुल योग		

(रकम-रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 22- अनुदानों सहायिकियों, आदि पर व्यय		
(क) संस्थाओं संगठनों को दिए गए अनुदान
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकियां
कुल योग		

टिप्पण: अस्तित्वों के नाम, उनके क्रियाकलाप अनुदानों/सहायिकियों की रकम के साथ प्रकट किए जाएं ।

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
को समाप्त होने वाले वर्ष/अवधि के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूची

(रकम-रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 22- ब्याज		
(क) नियत ऋणों पर
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक अधिभार सहित)
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
कुल योग		

भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण

31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि/वर्ष के लिए लेखा के भागरूप अनुसूची

अनुसूची 24..... महत्वपूर्ण लेखा नीति (दृष्टांत रूप)

1. लेखा कन्वेन्शन

वित्तीय विवरणी ऐतिहासिक लागत कन्वेन्शन के आधार पर तैयार होंगे जब तक कि अन्यथा कथित न हों और वित्तीय विवरणी प्रोद्भव पद्धति पर ऐतिहासिक लागत कन्वेन्शन के आधार पर, जब तक कि अन्यथा कथित न हों और लेखा की प्रोद्भव पद्धति पर तैयार होंगे ।

2. मूल्यांकन तालिका

2.1 भंडार और पुर्जे (जिसके अंतर्गत मशीनरी के पुर्जे भी हैं) लागत पर मूल्यांकित होंगे ।

2.2 अपरिष्कृत सामग्री, अर्द्ध परिसज्जित माल, परिसज्जित माल लागत की निम्नतर मूल्य पर और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होगा । लागत औसत लागत के आधार पर आधारित होगी । परिसज्जित माल और अर्द्ध परिसज्जित माल की लागत का अवधारण सामग्री, श्रम और संबंधित ऊपरी खर्चों पर विचार करते हुए होगा ।

3. विनिधान

3.1 वर्गीकृत विनिधान “ दीर्घवधि विनिधान” के रूप में लागत पर किया जाएगा इंकार के लिए उपबंध, अस्थाई होंगे जो ऐसे विनिधान की लागत को करने के लिए हैं ।

3.2 वर्गीकृत विनिधान ‘ चालू’ के रूप में लागत की निम्न और वास्तविक मूल्य पर किए जाएंगे प्रत्येक विनिधान के लिए किया गया ऐसा विनिधान के मूल्य के कम होने के लिए उपबंध व्यक्तिगत रूप से विचाराधीन होंगे और न कि वैश्विक आधार पर ।

3.3 लागत जिसके अंतर्गत अर्जन व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टाम्प भी हैं ।

4. स्थिर आस्तियां

4.1 स्थिर आस्तियों में अर्जन की लागत अभिकथित होगी जिसके अंतर्गत आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष खर्च भी हैं परियोजना में अंतर्वलित संनिर्माण के संबंध में सक्रियापूर्ण खर्च से संबंधित (इसके पूर्ण होने से पूर्व विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए उधार पर ब्याज सम्मिलित है), पूंजीकृत आस्तियों के मूल्य का भाग से संबंधित है।

4.2 स्थिर आस्तियां गैर आर्थिक अनुदान के रूप में, (समग्र निधि से भिन्न), पूंजी आरक्षिती को जमा तत्स्थानी द्वारा, पूंजीकृत मूल्य के रूप में अभिकथित होगी।

5. अवक्षयण

5.1 अवक्षयण आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सरल लेखा में उपबंधित है, स्थिर आस्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा के दायित्वों के संपरिवर्तन के लेखों पर उत्पन्न लागत समायोजन पर अवक्षयण के सिवाय जिसका क्रमशः आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर क्रमिक अपाकरण है।

5.2 वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों के परिवर्धन/कटौती के संबंध में प्रोरेटा आधार पर अवक्षयण पर विचार होगा।

5.3 5,000 रुपए या उससे कम प्रत्येक आस्तियों का पूर्णतः उपबंध होगा।

6. प्रकीर्ण व्यय

5 वर्ष की अवधि से ऊपर के उपगत आस्थगित राजस्व व्यय को वर्ष में बट्टेखाते में डाला जाएगा।

7. सरकारी अनुदान/सहायता

7.1 परियोजना को स्थापित करने की पूंजी लागत की ओर अभिदाय की प्रकृति के सरकारी अनुदान को पूंजी आरक्षिती के रूप में समझा जाएगा।

7.2 विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों के संबंध में अर्जित अनुदान संबंधित आस्तियों की लागत से कटौती के रूप में दर्शित होगा।

7.3 सरकारी अनुदान/सहायता वसूली आधार पर गणना में होगी।

8. पट्टा

पट्टा भाटक पट्टा निबंधनों के संदर्भ के साथ व्यय है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

1. कर्मचारी की मृत्यु/ सेवानिवृत्ति पर संदेय योग्य उपादान दायित्व वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रोद्भूत हैं।

2. कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदीकरण लाभ के लिए उपबंध उक्त कर्मचारी के ग्रहण से प्रोद्भूत और गणना में जिस वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त किया जाता है हकदार होगा।

भांडागार विकास और विनियमन प्राधिकरण
31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि/वर्ष के लिए लेखा के भाग रूप अनुसूची

अनुसूची - 25 लेखों पर समाश्रित दायित्व और टिप्पण (दृष्टांत रूप)

1. समाश्रित दायित्व

1.1 अस्तित्व के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं है। रू. (पूर्व वर्ष) के संदर्भ में

• अस्तित्व के द्वारा /रसके निमित्त दी गई बैंक गारंटी - रू. (पूर्व वर्ष) के संदर्भ में

• अस्तित्व के निमित्त बैंक द्वारा खोली गई प्रत्यय पत्र - के संदर्भ में

• बैंक द्वारा बट्टे पर बिल भुनाई गई रू. (रू. पूर्व वर्ष)

1.2 निम्नलिखित के संदर्भ में विवादित भाग :

आय-कर रू. (रू. पूर्व वर्ष)

विक्रय कर रू. (रू. पूर्व वर्ष)

नगरपालिका कर रू. (रू. पूर्व वर्ष)

1.3 आदेश के उक्रियान्वयन के लिए पक्षकारों से दावों के संदर्भ में, किन्तु अस्तित्व द्वारा विरोध किया गया -

रू. (रू. पूर्व वर्ष)

2. राजस्व प्रतिबद्धता

संविदा का प्राकलित मूल्य का रोज पूंजीगत लेखा से निष्पादित होगा और रू. (रू. पूर्व वर्ष) (अग्रिम का कुल) के लिए उपलब्ध नहीं होगा

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए व्यवस्था वित्तीय पट्टे के अधीन भाटक के लिए भविष्यकालीन बाध्यताएं की रकम रू. (रू. पूर्व वर्ष)

4. चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम, व्यापार के सामान्य अनुक्रम में आवास पर किसी मूल्य को तुलनपत्र में दर्शित संकलित रकम के कम से कम बराबर होगा।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन किसी कराधेय आय होने की दृष्टि से, आयकर के लिए किसी उपबंध पर विचार करने के लिए आवश्यक होगा।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

(रकम-रु.)

चालू वर्ष पूर्व वर्ष

6.1 सीआईएफ आधार पर आकलित आयात मूल्य

- परिष्कृत माल का क्रय
- अपरिष्कृत सामग्री और घटक
- पूंजी माल
- भंडार, पुर्जे और खपने वाली सामग्री

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

क. यात्रा

ख. विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थानों/बैंकों को प्रेषण और ब्याज

ग. अन्य व्यय

- विक्रय पर कमीशन
- विधिक और कृत्रिम व्यय
- प्रकीर्ण व्यय

6.3 उपार्जन

एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य

6.4 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखा परीक्षक के रूप में

- करधान मामले
- प्रबंधकीय सेवा के लिए
- प्रमाणीकरण के लिए

अन्य

7. पूर्व वर्ष के लिए तत्समान आकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनःसमूह/पुनःव्यवस्थित करें ।

8. को तुलन पत्र के साथ अनुसूची 1 से 25 को उपाबद्ध और समाकालित भाग के रूप में होंगे और उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा होगा ।

प्ररूप 'ग'
(नियम 3 देखें)

भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण

31 मार्च.....को समाप्त होने वाली अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और संदाय

(रकम -- रु०)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	संदाय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
I. आरंभिक अतिशेष			I. व्यय		
(क) हाथ की रोकड			(क) स्थापना व्यय (अनुसूची के तत्स्थानी)		
(ख) बैंक अतिशेष			(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-2 के तत्स्थानी)		
(i) चालू खाते में			II. परियोजना के लिए किया गया संदाय		
(ii) जमा खाते में			(परियोजना के संदाय की विशिष्टियों के साथ निधि या परियोजना का नाम)		
(iii) बचत खाता			III. विनिधान और जमा		
II. अनुदान प्राप्तियां			(क) निश्चित/सावधि में		
(क) भारत सरकार से			(ख) स्व निधि से (विनिधान)		
(ख) राज्य सरकार (सरकारी) से			IV चालू काम में नियत.....पर व्यय		
(ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे)			(क) स्थित आस्तियों का क्रय		
(पूजी और राजस्व व्यय के लिए ब्यौरे पृथक प्रदर्शित करें)			(ख) पूजी.....पर व्यय		

III विनिधान से आय				V. अधिशेष करम का प्रतिदाय	
(क) निश्चित/सावधि निधि				(क) भारत सरकार को	
(ख) स्व निधि (अन्य विनिवेश)				(ख) राज्य सरकार को	
IV. ब्याज प्राप्तियां				(ग) निधि के अन्य प्रदायकर्ता को	
(क) बैंक जमा पर				VI. वित्त प्रभार (.....)	
(ख) उधार, अग्रिम आदि				VII. अन्य संदाय (विनिर्दिष्ट करें)	
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)				VIII. रोकड़ बाकी	
VI. उधार ली गई रकम				(क) हाथ की रोकड़	
VII. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्योरे दीजिए)				(ख) बैंक अतिशेष	
				(i) चालू खाते में	
				(ii) जमा खाते में	
				(iii) बचत खाते में	
कुल				कुल	

[फा. सं. टीएफसी/17/2008]

नवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव